

**बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग**

पत्रांक-01/बजट-यो-44/2025-02967

पटना, दिनांक-28 अप्रैल, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०  
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विशेष ईख पदाधिकारी, पटना/गोपालगंज।

ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/दरभंगा/बेतिया अंचल, बेतिया/रामनगर  
अंचल, बेतिया/पूर्णिया/मोतिहारी/मुजफ्फरपुर/सीवान।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत " बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए स्वीकृत कुल 1100.00 (ग्यारह सौ) लाख रुपये के विरुद्ध 33 प्रतिशत अर्थात् कुल मो० 363.00 (तीन सौ तिरसठ) लाख रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-33 स्वी०/ई०का० दिनांक-17.04.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य योजना अंतर्गत "बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिए कुल 1100.00 (ग्यारह सौ) लाख रुपये मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि कुल 1100.00 लाख रुपये के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में 33 प्रतिशत यानि कुल मो० 363.00 (तीन सौ तिरसठ) लाख रुपये का आवंटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची परिशिष्ट-1) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की निकासी हेतु बजट शीर्षवार विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| बजट शीर्ष                                                                                                                                                                                                                                  | उपबंधित राशि  | स्वीकृत राशि  | आवंटित राशि (33 प्रतिशत) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852082010104, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी।                                                    | 831.72        | 831.72        | 274.47                   |
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852082010104, विषय शीर्ष- 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन।                                       | 49.62         | 49.62         | 16.37                    |
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0104-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852082010104, विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।                                              | 4.14          | 4.14          | 1.37                     |
| <b>योग (क) -</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>885.48</b> | <b>885.48</b> | <b>292.21</b>            |
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852087890102, विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी।             | 188.00        | 188.00        | 62.04                    |
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852087890102, विषय शीर्ष- 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन। | 9.60          | 9.60          | 3.17                     |
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0102-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- 45-2852087890102, विषय शीर्ष- 13 01 कार्यालय व्यय।       | 0.80          | 0.80          | 0.26                     |
| <b>योग (ख) -</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>198.40</b> | <b>198.40</b> | <b>65.47</b>             |

28/4/2025



|                                                                                                                                                                                                                            |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी।              | 15.28   | 15.28   | 5.04   |
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103, विषय शीर्ष- 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन। | 0.78    | 0.78    | 0.26   |
| मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-45, उप शीर्ष-0103-गुड़ विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड-45-2852087960103, विषय शीर्ष-13 01 कार्यालय व्यय।        | 0.06    | 0.06    | 0.02   |
| योग (ग) -                                                                                                                                                                                                                  | 16.12   | 16.12   | 5.32   |
| योग- (क) + (ख) + (ग) =                                                                                                                                                                                                     | 1100.00 | 1100.00 | 363.00 |

- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है।
- स्वीकृत्यादेश संख्या-33 स्वी०/ई०का० दिनांक-17.04.2025 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 02 वजट

पटना, दिनांक- 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/समस्तीपुर/गोपालगंज/दरभंगा/बेतिया (प० चम्पारण)/पूर्णिया/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/ सीवान/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 02 वजट

पटना, दिनांक- 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-44/2025- 02 वजट

पटना, दिनांक- 28 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।



परिशिष्ट-I

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत गुड़ इकाइयों की स्थापना पर वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार आवंटित राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

| क्र०सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम                              | आवंटित राशि (लाख रु० में) (33 प्रतिशत) |           |              |        | कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------------------|
|         |                                                                         | सामान्य                                | अनु० जाति | अनु० जन जाति | योग    |                                                 |
| 1       | 2                                                                       | 4                                      | 5         | 6            | 7      | 8                                               |
| 1       | ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर                                                 | 22.61                                  | 1.40      | 0.08         | 24.09  | कोषागार, समस्तीपुर                              |
| 2       | ईख पदाधिकारी, गोपालगंज                                                  | 15.84                                  | 0.00      | 0.00         | 15.84  | कोषागार, गोपालगंज                               |
| 3       | ईख पदाधिकारी, दरभंगा                                                    | 15.84                                  | 6.93      | 0.00         | 22.77  | कोषागार, दरभंगा                                 |
| 4       | ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया                                       | 10.89                                  | 0.00      | 0.99         | 11.88  | कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण                     |
| 5       | ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल                                               | 8.91                                   | 1.98      | 3.47         | 14.36  | कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण                     |
| 6       | ईख पदाधिकारी, पूर्णिया                                                  | 24.75                                  | 11.39     | 0.00         | 36.14  | कोषागार, पूर्णिया                               |
| 7       | ईख पदाधिकारी, मोतिहारी                                                  | 13.86                                  | 1.98      | 0.00         | 15.84  | कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण                |
| 8       | ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर                                                | 19.37                                  | 10.89     | 0.00         | 30.26  | कोषागार, मुजफ्फरपुर                             |
| 9       | ईख पदाधिकारी, सीवान                                                     | 11.45                                  | 2.97      | 0.00         | 14.42  | कोषागार, सीवान                                  |
| 10      | विशेष ईख पदाधिकारी, पटना                                                | 27.47                                  | 7.92      | 0.00         | 35.39  | कोषागार, पटना                                   |
| 11      | विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज                                            | 8.91                                   | 0.00      | 0.00         | 8.91   | कोषागार, गोपालगंज                               |
| 12      | विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | 112.32                                 | 20.01     | 0.78         | 133.11 | कोषागार, विकास भवन, पटना                        |
|         | योग-                                                                    | 292.21                                 | 65.47     | 5.32         | 363.00 |                                                 |

(अनिल कुमार झा)  
ईखायुक्त, बिहार।